न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः-- विजेन्द्र कुमार मीना

मि० न० 34/2023

तारीख दायरा 17.12.2023

तारीख फैसला 13/12/23

छितरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कीर निवासी कल्याणपुरा हाल निवासी कोटसुवा तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,88,89 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः--

वादीगण की और से :- श्री रघुवीर सिंह

प्रतिवादीगण की और से :- तहसीलदार दीगोद

-: निर्णय :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेलडली परसराम तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 367 की 0.09 है0, 370 की 0.04 है0, 395 की 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.29 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 संलग्न है। यह कि ग्राम खेरूला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 555 की 0.15 है0 व खसरा नम्बर 558 की 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 भूमि वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। उक्त दोनो जमाबंदी में वादी के पिता का नाम मांगीलाल है किन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मांग्या अंकित है। जो गलत है। वादी के आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में वादी के पिता का नाम मांगीलाल अंकित है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मांग्या दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का नाम मांगीलाल है इस कारण वादी को खाद बीज ऋण आदि लेने में परेशानी आ रही है। उक्त कारसा वादी के पिता का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मांग्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 367 की 0.09 है0 , 370 की 0.04 है0, 395 की 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.29 है0 भूमि तथा ग्राम खेरूला की खसरा नम्बर 555 की 0.15 है0 व खसरा नम्बर 558 की 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मांग्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तवली विधिवत कायम की गई।

3. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में पटवारी हल्का ग्राम कोटसुवां की रिपोर्ट अनुसार वादी के पिता को मांगीलाल व मांग्या दोनो ही नाम से जाना जाता है एवं मांगीलाल व मांग्या एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता का नाम मांग्या के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

4. वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान पेश वाद में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 367 की 0.09 है0 , 370 की 0.04 है0, 395 की 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.29 है0 भूमि तथा ग्राम खेरूला की खसरा नम्बर 555 की 0.15 है0 व खसरा नम्बर 558 की 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मांग्या अंकित है जो कि गलत है। अतः वादी का नाम छीतरलाल पुत्र मांग्या के स्थान पर छीतरलाल पुत्र मांगीलाल उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

5. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंद ग्राम खेडलीपरसरा जमाबंदी सम्वत् 2073–76, छायाप्रति पेन कार्ड, छायाप्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान स्वयं उपस्थित होकर जवाब दावा में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही होना अंकित किया है।

7. प्रकरण में वादी के पक्ष के अधिवक्ता की बहस तथा प्रस्तुत जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के अधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छीतरलाल पुत्र मांग्या के स्थान पर छीतरलाल पुत्र मांगीलाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 367 की 0.09 है0 , 370 की 0.04 है0, 395 की 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.29 है0 भूमि तथा ग्राम खेरूला की खसरा नम्बर 555 की 0.15 है0 व खसरा नम्बर 558 की 0.10 है0 कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 भूमि में वादी का नाम छीतरलाल पुत्र मांग्या के स्थान पर छीतरलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/23 को सरे इजलास में सुनाया गया।